न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह
बइजलास श्री शिवराज मीणा आर0 ए0 एस0 उपखण्ड अधिकारी

मि0 नं0 14 / 2024

ता0 रजू 06.02.2024

उनवान

1. कैलाश पुत्र गंगाराम जाति कुमावत निवासी पंवालिया तहसील टोडारायसिंह।
2. गोपाल लाल पुत्र गंगाराम जाति कुमावत निवासी पंवालिया तहसील टोडारायसिंह।
3. लाडा पत्नी स्व0 गंगाराम जाति कुमावत निवासी पंवालिया तह सील टोडारायसिंह।
4. लाली पुत्री गंगाराम जाति कुमावत निवासी पंवालिया तहसील टोडारायसिंह।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. तहसीलदार / लैण्ड होल्डर तहसील टोडारायसिंह

–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र 136 R.A.L. Act.
बाबत राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती

आदेश

दिनांकः–09.04.2024

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि उनके संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजियात वर्णित खतौनी संख्या 110 सम्वत 2073–2076 कुल किता 26 रकबा 8.24 है0 तथा खाता संख्या 117 संवत 2073–2076 कुल किता 2 रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम पंवालिया में स्थित है। जो प्रार्थीयान की पैत्रक एवं मौरूसी है। जो प्रार्थीयान को अपने पिता गंगाराम से मिली है। उक्त आराजियात में प्रार्थीयान के पिता की मृत्यु के बाद जो विरासत दर्ज की गई, उसमें प्रार्थीयान की जाति सहवन से लिपिकीय त्रुटिवश कुमावत के स्थान पर कुम्हार (प्रजापत) दर्ज कर दिया जो गलत है। प्रार्थीयान के आधार कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि रिकार्ड में प्रार्थीयान की जाति कुमावत दर्ज है। जबकी उक्त दोनो खतौनियों में भिन्न जाति कुम्हार (प्रजापत) दर्ज होने के कारण प्रार्थीयान को राजकीय स्कीमों के लाभ से वंचित होना पडता है। तहसीलदार को जाति कुम्हार (प्रजापत) से कुमावत दुरूस्त करने से मना कर दिया। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ प्रार्थीगण उक्त आराजियात में उनकी जाति कुम्हार (प्रजापत) के स्थान पर कुमावत दुरूस्त कराने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर आराजियात वर्णित खतौनी संख्या 110, 117 जमाबंदी सम्वत 2073–2076 वाके ग्राम पंवालिया तहसील टोडारायसिंह उनकी जाति कुम्हार (प्रजावति) के स्थान पर कुमावत दुरूस्त किया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पेश होने पर तलबी अप्रार्थी जारिये नोटिस की गई। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही किया।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड गोपाल लाल , लाडा देवी , कैलाश, लाली देवी जमाबंदी ग्राम पंवालिया की खतौनी सं. 89, 160, 117, 1265, 110 सम्बत 2073–2076, खतौनी संख्या 97, 104, 103 सम्बत् 2068–2071 वाके ग्राम पंवालिया पेश किये। तथा शपत पत्र प्राथी गोपाल लाल का पेश किया।

बहस अभि0 प्रार्थीगण व पेरो0,, सरकार सुनी गई। जो मुख्य रूप से [illegible] अनुसार रही। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। पत्रा[illegible] आधार कार्ड , संम्वत 2068–2071 की जमाबंदी खाता संख्या 103, 104, 97, [illegible] संख्या 1265, 160, 89 में प्रार्थीगण की जाति कुमावत ही दर्ज है। सम्वत् 2068–2071 [illegible]बंदी की खतौनी संख्या 10[illegible] 104, 97 में जाति कुमावत अंकित है, लेकिन प्रार्थीगण के पिता–पति गंगार[illegible] की विरासत के बाद हाल जम[illegible] सम्वत् 2073–2076 की खतौनी संख्या 117, 110 में जाति कुम्हार (प्रजापति) अंकित कर दिया। जबकि हाल जमाबंदी से पूर्व की चौसला जमाबंदी सम्वत् 2068–2071 में जाति कुमावत ही दर्ज है। अन्य दस्तावेज आधार कार्ड व शपथ पत्र से भी सही जाति

Signature Not Verified
Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.09.10 14:29:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

कुमावत ही होना जाहिर है। इसलिए वाद ग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण की जाति कुम्हार (प्रजापति) के स्थान पर कुमावत दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर आराजियात वर्णित खतौनी संख्या 117, 110 जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 वाके ग्राम पंवालिया तहसील टोडारायसिंह में प्रार्थीयान की जाति कुम्हार (प्रजापति) के स्थान पर कुमावत दुरूस्त की जाती है। तदनुसार रिकार्ड राजस्व में अमल हेतु तहसीलदार टोडारायसिंह को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिला दफ्तर हो। नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 09.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

09/04/2024

(शिवराज मीणा)
आर० ए० एस०
उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.09.10 14:29:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner